सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

नौमनि आदेश संख्या 13/2020

संख्या: इंजी./विविध-29 (73)/09	दिनांक: 21 मई 2020
विषय : कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए समुद्रकर्मियों के प्रमाणपत्रों और पोत के सांविधिक प्रमाणपत्रों, आवधिक सर्वेक्षणों और लेखापरीक्षाओं की मान्यता को बढ़ाया जाना.	

1. नौवहन महानिदेशालय ने अपनी ओर से पहल करते हुए दिनांक 23 मार्च, 2020 को नौमनि आदेश संख्या 6/2020 जारी किया था जिसमें अनिवार्य सर्वेक्षणों, निरीक्षणों और लेखापरीक्षाओं की अवधि को तीन मास की अवधि तक बढ़ाने की प्रक्रिया दी गई थी, सुरक्षाप्रद चालकदल की अपेक्षाओं संबंधी छूट जारी की गई थी और कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते मजबूरी के तहत पोतों पर चलने वाले समस्त समुद्रकर्मियों के लिए बिना आवेदन के एक मास की अवधि हेतु सक्षमता / प्रवीणता प्रमाणपत्रों की मान्यता / समकक्ष मानने (सीओसी/सीओपी/सीओई) की मान्यता संबंधी संस्वीकृति को बढ़ाया गया है.

2. जबकि, पूर्वोक्त आदेश के माध्यम से, नौवहन महानिदेशालय (नौमनि) ने ड्राई-डॉकिंग सर्वेक्षण / आवधिक / वार्षिक / नवीकरण सर्वेक्षणों को बढ़ाए जाने से संबंधित मामलों को छोड़कर इन समय सीमाओं को बढ़ाए जाने हेतु प्रक्रिया शुल्क भी माफ़ कर दिया और यह कि उक्त आदेश जारी होने से एक मास की अवधि तक मान्य था.

3. जबकि, इन्डियन नेशनल शिप ऑनर एसोसिएशन (आईएनएसए) और इन्डियन कोस्टल शिप ऑनर एसोसिएशन (आईसीएसएसए) से प्राप्त अनुरोध तथा स्थिति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए, नौमनि ने 4 अप्रैल 2020 को एक आदेश का अनुशेष संख्या वर्ष 2020 के नौमनि आदेश संख्या 6 का 1 जारी किया था, जिसमें बिना आवेदन के और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि समुद्रकर्मी पोत पर है या नहीं, दिनांक 23 मार्च 2020 और 1 अक्तूबर 2020 के बीच समाप्त होने वाले सीओसी / सीओपी / सीओई की मान्यता को छह मास तक बढ़ाए जाने की संस्वीकृति दी थी.

4. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लॉकडाउन की वजह से मान्यता प्राप्त संगठनों के सर्वेक्षक और सर्विसिंग कार्मिक और सर्विस सप्लायर पोत पर जाकर सांविधिक सर्वेक्षणों और क्रमश: जीवन रक्षी और अग्नि शामक उपस्करों की अनिवार्य सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे और इस कार्य को न किए जाने की वजह से पोतो की स्थिति सुरक्षाप्रद नहीं रहेगी और इसके चलते विश्व-व्यापी विभिन्न पत्तनों पर पोतों को रोका जाना संभव होगा, वजह होगी विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शनों के अंतर्गत यथापेक्षित तरीके से समयबद्ध रूप में अनिवार्य सर्वेक्षणों / सर्विसिंग को न करवाया जाना.

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

5. इस बात को और ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शनों में एक निश्चित विशिष्ट अवधि के बाद सांविधिक सर्वेक्षणों को आगे बढ़ाए जाने की अनुमति नहीं है, समयावधि बढ़ाने हेतु निदेशालय ने एक तरीका निकाला है और से 21 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020 के नौमनि आदेश संख्या 6 के अनुशेष संख्या 2 के रूप में जारी किया था तथा विभिन्न आईएमओ कन्वेन्शनों द्वारा यथानुमत अवधि के बाद तक सर्वेक्षण / लेखापरीक्षाओं / निरीक्षणों की अवधि बढ़ाए जाने की अनुमति दी तथा कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण निरंतर बढ़ती लॉक डाउन अवधि और इसकी वजह से सर्विसिंग / मरम्मत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु प्रयोजनीय प्रक्रिया शुल्क भी माफ कर दिया.

6. शुल्क की पूर्वोक्त माफी मात्र उन्हीं पोतों के लिए प्रयोजनीय थी जिनका सर्वेक्षण / निरीक्षण / लेखापरीक्षा 31 मई 2020 को या उससे पहले होना अपेक्षित थी. समयावधि बढ़ाए जाने की संस्वीकृति इस शर्त पर थी कि पोत कर्मचारी / तट कर्मचारी द्वारा देखी गई अतिरिक्त स्थितियों को विहित किए जाने के अलावा प्रलेखों तथा गत सर्वेक्षण और निरीक्षण अभिलेखों की समीक्षा कर लिए जाने के उपरांत मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) की संतोषजनक संस्तुति प्राप्त हो जाए.

7. इसे दृष्टिगत रखते हुए कि जो समुद्रकर्मी अपने सक्षमता / प्रवीणता / समकक्ष माने जाने के प्रमाणपत्रों का समय समाप्त हो जाने के कारण लॉक डाउन के आरंभ होने से पहले ही पोत से उतर गए उन्हें निरंतर लॉक डाउन बने रहने के कारण अपने प्रमाणपत्रों को फिर से मान्य करवाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया.

8. इसे दृष्टिगत रखते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण नौवहन कंपनियों और पोतस्थ कर्मीदल पर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त भार आ गया है कि वे पोतों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति अपना आग्रह बढ़ाएं जब पोत की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किसी तृतीय या द्वितीय पक्ष की निरीक्षण / लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोई सर्वेक्षक / अधीक्षक / पीएससी या एफएसआई निरीक्षक पोत पर नहीं जा रहा है.

9. इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि अब कई आरओ ने उन पत्तनों पर सर्वेक्षण / लेखापरीक्षा / निरीक्षण करने आरंभ कर दिए हैं जहां लॉक डाउन में ढील दिए जाने के कारण यह संभव हो पाया है. इसे भी ध्यान में रखते हुए कि निरंतर चलते लॉक डाउन और धीरे-धीरे सामान्य होती स्थितियों की वजह से अधिकांश भारतीय और विदेशी पत्तनों पर इन सर्वेक्षणों / लेखा परीक्षाओं / निरीक्षणों को किए जाने के लिए कुछ और समय लगेगा, अत: अब तक समुद्रकर्मियों के प्रमाणपत्रों और पोत के सांविधिक प्रमाणपत्रों की समयावधि को बढ़ाए जाने के मामले पर अब तक जो भी प्रक्रियाएं जारी की गई हैं उन्हें समेकित कर उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है.

10. उपर्युक्त समस्त तथा मौजूदा हालात का संज्ञान लेते हुए निदेशालय द्वारा एतद्वारा, समयावधि बढ़ाए जाने से संबंधित प्रावधानों और प्रक्रिया शुल्क की माफी तथा मात्र उन पोतों के लिए जिनका सर्वेक्षण / निरीक्षण /

लेखापरीक्षा **30 जून 2020** को या उससे पहले होना अपेक्षित थी उनके लिए विभिन्न आईएमओ कन्वेन्शनों द्वारा अनुमत से आगे तक सर्वेक्षणों / लेखापरीक्षाओं / निरीक्षणों की समयावधि को निरंतर बढ़ाया जाता है.

11. निम्नोक्त परिच्छेदों में यथोल्लिखित परिशोधित प्रक्रियाओं के अनुसरण में उपर्युक्त प्रयोजनीय होंगी जो कि बदली हुई पिरस्थितियों के कारण अब तक जारी इस विषय पर अपेक्षाओं / प्रावधानों का समेकन और परिशोधन है और इसलिए यह आदेश वर्ष 2020 के नौमनि आदेश संख्या 6 और पूर्व में जारी किए गए इसके अनुशेषों को अधिक्रमित करता है.

12. सांविधिक प्रमाणपत्रों की समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु परिशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार है:

1) वार्षिक / आवधिक सर्वेक्षणों और आरंभिक / अन्तरवर्ती / नवीकरण निरीक्षणों / लेखापरीक्षाओं को तीन मास तक बढ़ाया जाना: चूंकि इन कन्वेन्शनों के अंतर्गत वार्षिक/ आवधिक सर्वेक्षणों को बढ़ाए जाने की अनुमति नहीं है, कंपनी हर संभव प्रयास करेगी कि वह तारीख समाप्त होने से पहले सर्वेक्षण / निरीक्षण / लेखापरीक्षा करवाने के लिए जलयान पर मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) के सर्वेक्षक को पोत पर लाया जाना सुनिश्चित किया जाए. यदि सर्विसिंग सप्लायर उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे सर्वेक्षण आंशिक रूप से बाकी रखे जाएं और तदनुसार इनकी समय सीमा को बढ़ाए जाने की संस्तुति की जाए. यदि आरओ का सर्वेक्षक पोत पर नहीं जा सकता है तो आरओ मास्टर / सीई / डीपीए की घोषणा और गत सर्वेक्षण / निरीक्षण इतिहास अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर समय बढ़ाए जाने की संस्तुति करे. हालांकि यह समय सीमा 3 मास के लिए बढ़ाई जाएगी, आरओ और कंपनी नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि पहला मौका मिलते ही आरओ का सर्वेक्षक पोत पर आए और सर्वेक्षण / निरीक्षण / लेखापरीक्षा का कार्य पूरा करे.

2) **कन्वेन्शन सम्मत अवधि से आगे नवीकरण / डॉकिंग सर्वेक्षणों को बढ़ाया जाना** : कंपनी हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित करेगी कि यथा संभव रूप से नवीकरण सर्वेक्षणों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जलयान पर आरओ का सर्वेक्षक लाया जाए और एक सामान्य परीक्षा करवाई जाए, 3 मास की समापन तिथि के बाद नवीकरण सर्वेक्षणों को बढ़ाए जाने के लिए एकल पेटे वाले बल्क वाहकों के मामले में कार्गो होल्डों की जांच की जाए और गत डॉकिंग से 36 मास की अवधि से आगे डॉकिंग सर्वेक्षण को बढ़ाए जाने के लिए दोहरे तले वाले टैंकों की जांच और अन्डरवॉटर जांच की जाए. समयावधि को बढ़ाए जाने के लिए सामान्य प्रक्रियाएं तब लागू होंगी जब समयावधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध कन्वेन्शन के अंतर्गत अनुमतियोग्य सीमा के भीतर हो.
सर्वेक्षक के आए बिना ही जब समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाए (गत सर्वेक्षण / निरीक्षण अभिलेख, मास्टर/सीई घोषणा और आरओ की संस्तुति की समीक्षा मात्र के आधार पर) तो जैसे ही जलयान पर आरओ का सर्वेक्षक जाने के लिए तैयार हो वैसे ही कंपनी यथासंभव रूप से सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए जलयान प्रस्तुत करे और शेष मदों की सामान्य परीक्षा करवाए एवं अन्डर वॉटर सीसीटीवी जांच (मात्र उन्हीं मामलों में जहां डॉकिंग सर्वेक्षण की समयावधि बढ़ाई गई है) और दोहरे तले वाले टैंक की जांच (नवीकरण सर्वेक्षणों के हर मामले में) और कारगो होल्ड जांच (एकल पेटे वाले बल्क वाहकों के नवीकरण सर्वेक्षणों के मामले में) करवाए. समयावधि को बढ़ाए जाने की निरंतरता इस शर्त पर होगी कि आरओ के सर्वेक्षक द्वारा इन परीक्षाओं के परिणाम संतोषजनक दिए गए हों.

3) **सुरक्षाप्रद चालक दल प्रलेख से छूट** : जब पोत के स्वामियों / प्रचालकों / प्रबंधकों द्वारा कर्मीदल के किसी सदस्य को कुछ पत्तनों पर पत्तन प्रतिबंधों तथायात्रा प्रतिबंधों के कारण जलयान से उतारे जाने की आवश्यकता होती है और पोत स्वामी / प्रचालक / प्रबंधक उसकी जगह पर किसी को नहीं लगा पाते तो सुरक्षाप्रद चालक दल प्रलेखों से छूट मामला-दर-मामला आधार पर मानी जाएगी. हर अनुरोध के साथ कंपनी की ओर से जोखिम मूल्यांकन लगा हो. इन छूटों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और छूटें ईमेल पर जारी कर दी जाएंगी.

13. सर्वेक्षणों की समयावधि आईएमओ कन्वेन्शन प्रावधानों के आगे निम्नोक्त शर्तों के अधीन बढ़ाई जाएगी:

1) यदि समयावधि आईएमओ कन्वेन्शन प्रावधानों से आगे बढ़ाई गई है तो कंपनी किसी विदेशी लदाई / उतराई के पत्तन में प्रवेश करने से पहले सांविधिक प्रमाणपत्रों को स्वीकार किए जाने के लिए संगत समुद्रीय प्राधिकारियों से अनुमति लेगी.
2) तटवर्ती कर्मचारियों द्वारा पोत पर नजर रखा जाना बढ़ा दिया जाएगा ताकि इस बढ़ाई गई समयावधि के दौरान पोत और समुद्रकर्मियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके. इन पर नजर रखे जाने की प्रक्रिया डीपीए द्वारा विकसित और अनुमोदित की जाए (आईएसएम/डीडीओसी जलयानों के लिए) और अगली लेखापरीक्षा / एफएसआई पर सत्यापन के लिए अभिलेखों को रखा जाए.

14. **समुद्रकर्मी का सक्षमता / प्रवीणता / समान माने जाने के प्रमाणपत्र (सीओसी/सीओपी/सीओई) की समयावधि को बढ़ाया जाना** : नौवहन महानिदेशालय (नौमनि) द्वारा जारी किए गए वे समस्त एसटीसीडबल्यू प्रमाणपत्र (इनमें प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शामिल हैं यानी एसटीसीडबल्यू के अध्याय 6 के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणपत्र) और इनसे जुड़े पृष्ठांकन जिनकी अवधि **1 मार्च और 31 दिसंबर 2020** के बीच समाप्त हो रही हो (दोनों तारीखें शामिल हैं) उनकी समय सीमा संगत प्रमाणपत्र (सीओसी/सीओपी/सीओई) पर छपी/टंकित समापन तिथि से 6 (छह) मास की अवधि तक बढ़ जाएगी भले ही समुद्रकर्मी इस समापन तिथि के समय पोत पर हो / या न हो. हालांकि, जो समुद्रकर्मी पुन: मान्यता दिए जाने हेतु अपेक्षित पात्रता पर खरे उतरेंगे वे लॉक डाउन अवधि समाप्त होने के उपरांत अपने सीओसी/सीओपी/सीओई को पुन: मान्य किए जाने हेतु समुद्री वाणिज्य विभाग को आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा, समय सीमा समाप्त हो चुके प्रमाणपत्र को पुन: मान्यता दी जाएगी तब नई मान्यता मूल प्रमाणपत्र की समय सीमा समापन से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी.
ऊपर अन्य किसी भी बात के रहते हुए, अभ्यर्थी को समयावधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और मौका मिलते ही अपने सीओसी को यथाप्रयोजनीय रूप से ऑनलाइन / ऑफलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद अपने सीओसी को पुन: मान्य करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए.

15. स्थितियां सामान्य हो जाने के बाद, कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पोत का सामान्य समयानुसार सर्वेक्षण / लेखापरीक्षा करवाए. इस हेतु आरओ कंपनी की सहायता करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन

जलयानों का सामान्य सर्वेक्षण / लेखापरीक्षा / निरीक्षण समय चक्रानुसार यथाशीघ्र रूप से, उन्हें अपनी बाध्यकारिताओं के बारे में निरंतर जानकारी देते हुए, करवा लिया जाए.

16. समयावधि बढ़ाने की संस्तुति करने वाले आरओ निम्नोक्त अभिलेख रखेंगे और साप्ताहिक रूप से इन्हें अद्यतनीकृत करेंगे और साप्ताहिक रूप से निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे:

1) कोविड-19 के कारण आई इस नौबत के चलते भारतीय जलयानों की सूची और भारतीय जलयानों को दी गई छूटों / समयावधियों को बढ़ाए जाने के विवरण.
2) लॉक डाउन अवधि के बाद सर्वेक्षण / लेखापरीक्षा / निरीक्षण हेतु प्रस्तावित जलयानों का विवरण और ऐसे सर्वेक्षणों / लेखापरीक्षाओं / निरीक्षणों की स्थिति / अभिलेख.

21/5/2020

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक.

सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

DG Shipping Order No. 13 of 2020

NO: ENG/Misc-29(73)/09	Dated: 21st May 2020
Subject: Extension to the validity of Seafarer's Certificates and Ship's Statutory Certificates, periodical Surveys & Audits in view of COVID-19 pandemic.	

1. The Directorate General of Shipping, as a proactive measure, issued *DGS Order No. 6 of 2020* on 23rd March 2020, wherein it has laid down the process of extension of mandatory surveys, inspections and audits by a period of three months, issuance of exemptions from Safe Manning requirements, and has granted extension to the validity of Certificates of Competency/Proficiency/Recognition of Equivalence (COC / COP / COE) for a period of one month without application for all those seafarers who are sailing on ships, under "Force Majeure", brought about by COVID-l9 pandemic.
2. Whereas, vide the aforesaid order, the Directorate General of Shipping (DGS) has also waived off the processing fees for such extensions, except for cases pertaining to extension of dry-docking survey / periodical / annual / renewal surveys and that the said order was valid for a period of one month from date of issue.
3. Whereas, at the request of Indian National Ship Owner Association (INSA) and Indian Coastal Ship Owner Association (ICSSA) and after taking a pragmatic view of the situation, the DGS had issued on 4thApril 2020 an *Addendum No. 1 to DGS Order 6 of 2020*, granted extension of six months to the validity of COC / COP / COE which are expiring between 23rd March 2020 and 1st October 2020, without application and irrespective of whether the seafarer was sailing or not.
4. Noting that lockdown has prevented the Surveyors and servicing personnel of the Recognized Organizations and service suppliers to board vessels to carry out Statutory Surveys and mandatory servicing of life-saving & fire-fighting appliances respectively and that non-completion of the same can lead to unsafe condition of the ship and possible detention of ships at various ports world-wide, due to non-conduct of mandatory surveys / servicing in a time bound manner as required under various International Conventions.

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

5. Noting further that majority of International Conventions do not allow extension of Statutory Surveys beyond a certain specific period, Directorate devised a procedure for such extensions and same was issued on 21st April 2020 as an *Addendum No. 2 to DGS Order 6 of 2020* and allowed extension of survey/ audits/ inspections by a period beyond what is permitted by various IMO Conventions and also waived of applicable processing fees for such extensions due to continuing lockdown period and non-availability of servicing / repairing facilities arising out of COVID-19 pandemic.
6. The aforesaid waiver of processing fees was applicable to only those ships, where survey/inspection/audit are falling due on or before 31st May 2020. The grant of extension was subject to receipt of satisfactory recommendation of the Recognized Organization (RO) after having done a review of documents and past survey and inspection records apart from prescription of additional conditions to be observed by ship staff / shore staff.
7. Noting that seafarer who have signed-off prior to start of lock-down due to expiry of their Certificates of Competency/Proficiency/Recognition of Equivalence may not have got enough opportunity to revalidate their certificates due to continuing lock-down.
8. Noting further that the present circumstances has imposed additional responsibility on shipping companies and crew on board with regard to increased self-regulation on safety and security of ships, when no third or second-party inspection/audit report is available to assess the condition of ship as there is no visit being undertaken by Surveyor/Superintendent/PSC or FSI Inspector.
9. Noting also that many ROs have now commenced survey/audit/inspections, at ports where possible due to eased lock down at these ports. Also noting that still more time may be required for conduct of such surveys/audits/inspections at majority of Indian and Foreign ports due to continuing lock-down and gradual restoration of normalcy, there is thus a need to consolidate and review the procedures issued so far on the issue of extensions to the seafarer's certificates and ship's statutory certifications.
10. Taking cognizance of all the above and the prevailing circumstances the Directorate hereby, extends the continuation of provisions related to extensions and waiver of processing fees and extension of surveys/audits/inspections, beyond what is permitted by various IMO Conventions, only for those ships, where survey/inspection/audit are falling due on or before **30th June 2020.**
11. The application of above shall be in accordance with revised procedures as stated in the following paragraphs which is a consolidation and revision of the requirements / provisions on the same subject issued so far due to changed circumstances and thus this order supersedes the *DGS Order No. 6 of 2020 and its Addendums issued earlier.*

12. The revised procedure for extension of Statutory Certificates are as below:

i) **Extension of Annual/Periodical Surveys and Initial/Intermediate/Renewal Inspections/Audits by three months:** Since no extension of annual/periodical surveys are permitted under the Conventions, the Company shall make all efforts to ensure Surveyor of the Recognized Organization boards the vessel to conduct surveys/inspections/audits prior to expiry date. In case servicing suppliers are not available, such surveys can be kept part held pending completion of same and accordingly recommend for extension. In case the RO Surveyor cannot board the vessel, RO to recommend the same for extension based on Master/CE/DPA declaration and verification of past survey/inspection history records. Though the extension may be granted for 3 months, the RO and Company shall monitor and ensure that at first available opportunity the Surveyor of RO boards the vessel and completes the survey/inspection/audit.

ii) **Extension of Renewal/Docking Surveys beyond Convention allowed period:** Company shall make all efforts to ensure RO Surveyor boards the vessel for progressing with the renewal surveys as far as possible and carrying out a general examination, examination of Cargo Holds in case of Single Hull Bulk Carriers for extension of renewal surveys beyond 3months of expiry date and examination of Double Bottom Tanks and underwater examination for extension of Docking Survey beyond 36months period since last docking. Usual procedures for extension to be applied when extension requested is within what is permissible under the Convention.

When extension is granted without a Surveyor visit (based only on review of past survey/inspection record, Master/CE declaration and RO recommendation), as soon as the RO Surveyor is ready to board the vessel, company will offer the vessel for completion of surveys as far as possible and a general examination for remaining items and Under Water CCTV Examination (only in cases where Docking Survey is extended) and Double Bottom Tank examination (all cases of renewal surveys) and Cargo hold examination (in the case of single hull Bulk Carriers renewal surveys). Continuation of extension will be subject to satisfactory results of these examinations by RO Surveyor.

iii) **Exemptions from Safe Manning Document:** Where the Ship owners/Operators/Managers need to sign-off a crew member from a vessel due to the port restrictions at some ports and travel restrictions and the Ship owners/Operator/Manager is unable to place a reliever, exemptions to Safe

Manning Documents will be considered on a case by case basis. Each request should be supported by risk assessment from the company. There will be no fees charged for these exemptions and exemptions will be issued on email.

13. The extension of surveys beyond the IMO Convention provisions will be under the following conditions:
    i) If the extension is granted beyond the IMO Convention provisions, the Company, prior entering any foreign load/discharge port, will take permission from relevant Maritime Authorities for acceptance of statutory certificates.
    ii) Enhanced monitoring of ship by shore staff to ensure safety and security of ship and seafarer during this period of extension. Procedure for such monitoring to be developed and approved by DPA (for ISM/DDOC vessels) and records to be maintained for verification at next audit/FSI.
14. **Extension of Seafarer Certificate of Competency/Proficiency/Recognition of Equivalence (COC / COP / COE):** All STCW Certificates (*includes the training certificates i.e., certificates required under Chapter VI of the STCW*) and associated endorsements issued by the Directorate General of Shipping (DGS) which are expiring between **1st March and 31st December 2020** (both dates inclusive), shall stand extended for a period of 6 (six) months from the expiry date printed/typed on the relevant certificate (COC/COP/COE), irrespective of whether the seafarer is/was on ship at the time of expiry or not. However, all those seafarers who meet the eligibility requirements for revalidation may make an application after the lifting of the lockdown period, to the Mercantile Marine Department for revalidation of their COC/COP/COE. Further, whenever the revalidation of the expired certificate is to be carried out, the new validity shall be issued for a period of five years from the original certificate expiry date.

    Notwithstanding above, the candidate's should not wait for the expiry of the extension period granted and should endeavour to get his COC revalidated after completing the online / offline courses, as applicable to their COC at the earliest opportunity.
15. After restoration of normalcy, it is the responsibility of the Company to bring back the ship to normal survey / audit cycle. For this the RO shall assist the company so as to ensure that these vessels are brought back to normal survey / audit / inspection cycle as soon as possible by keeping them posted regularly of their obligations.
16. ROs recommending for extension shall keep following records and update them weekly and submit the same to Directorate on a weekly basis:

i) List of vessels and details of exemptions / extensions granted to Indian vessels on account of the situation developed due to COVID-19.

ii) Details of such vessels offered for survey/audit/inspection after the lock down period and the status/records of such surveys /audits/inspections.

21/5/2020

(Amitabh Kumar)

Director General of Shipping